

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगते सब व्यक्ति विद्यार्थी जीवाजी
विश्वविद्यालय के जाने से ही फिर उन्हें उन
के दृष्टि अंत विद्यालय के बाहर प्रेरणा
सम्पादित नियम १५ वर्ष तक में यह
विद्यालय छुपा हो जाए और उसके बाहर इस विद्यालय
विद्यार्थी जीवा जीव विद्यार्थी जीवा हो।



मान : गृहीतीय
दूरध्वाम : ०३७१-(०१५१) २४२२८०१
(०१५१)
२४२२४५२ फ़ोन/
फ़ैक्टरी : ०३७१-०१५१-२२४१७६०
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu>

प्रेषक :
कूलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : प्रक्र/सम्बद्धता/२०१२/ ५६१४

दिनांक : १३/१२/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अनुरूप आर्जपरिचय वाले
वैक्षणिक ०७ अक्टूबर, २०१२ के पद क्रमांक (१६) के लिएवाक्तुसार पार्वती जाई गोखरे विद्यालय
मत्तविद्यालय, ग्वालियर को सत्र २०१२-१३ के लिए प्रस्तावित संबोधित बी.यॉन. तुरीय वर्ष
प्रोफेशनल प्रौद्योगिक यात्र्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता नियम भर्ती के साथ प्रदान की जाती है।

भर्ती एवं प्रतिक्रिया :-

१. संबंधित विद्यालय ने ज्ञानी विद्यार्थी की क्रमांक २८(१७) में लियुक्त की।
२. ग्राहक वर्ष में ₹.२०,०००/- की पुस्तकों की क्रमांक दर्दी।
३. शासी विद्यालय की वैक्षणिक आयोजित की जाए।
४. विद्यार्थी जो घोटाला लेना/ देना के भाव्यगति से छाड़े।
५. पर्सिनेयम २७,२८ का यात्रा सुनिश्चित की।

आवेदकात्मक

प्रति,

१. ग्राहक, पार्वती जाई गोखरे विद्यालय मत्तविद्यालय, ग्वालियर
२. अनुग्रह, अध्ययन विभाग, उच्च विद्या विभाग, उत्तम भवन, गोपालनगर।
३. लेखीय अतिरिक्त लागतांक, ज्ञानप्रदाता शासन, उच्च विद्या विभाग, ग्वालियर-बंबल लंगाम, गोती गढ़ा, गारेसर, ग्वालियर।
४. अ-जुलाहियर (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, जगतीनगर।
५. अधीक्षण, परीक्षा नक्का फॉर्म-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर जूनार्डी एवं अवश्यक कारबोर्ड भेजु।

संहायक कूलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर

संस्कार एवं प्रबन्ध कूलप्रबन्ध विभाग
विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होने वाले आवेदन
में विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी
उपलब्ध होती है ताकि वह विभाग के अन्तर्गत
उपलब्ध विषय विवरण संबंधी जानकारी नहीं।



नाम : जीवाजी विश्वविद्यालय
दृष्टान्त : ०२३१-०२५१-२४२२८०१
(फोन)
२४२२४६२ (फैक्टरी)
फैक्टरी : ०२३१-०२५१-२३२१७८५
E-mail : jivaji_gov@rediffmail.com
Website : <http://www.jivaji.edu>

प्रेषक :-
कूलप्रबन्ध,
जीवाजी विश्वविद्यालय
नवालियर.

दस्तावेज़ : दस्तावेज़ संख्या/2012/ ५६१८

दिनांक : १३/१२/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की
वैठक दिनांक ०७ अगस्त, २०१२ के पट क्रमांक (१६) के विष्याकुलारार्थी वाई गोखले विद्यालय
नवालियर को संघ २०११-१२ के लिये प्रत्यावित/हांचालित एम.एस.-सी. नियुक्तीकारकार्यालयी,
इलेक्ट्रोफोरेस कॉरिस्ट्री, प्राइमिकी) बी.सी.ए, एवं बी.कॉल. द्वितीय वर्ष (स्टेन/कॉम्प्यूटर एंट्रीकॉडल अंतिमि)
गाहुलगाम के लिये अस्थाई उम्बलता नियन्त्रण की साथ प्रवाह की जाती है।

सर्वे एवं प्रतिबंध :-

१. परिनियम २४(१७) के अन्तर्गत उथाई प्रबाध की विस्तृति की जाए।
२. एम.एस.-सी. नवालियरवाले, और इलेक्ट्रोफोरेस कॉरिस्ट्री हेतु spectrophotometer तथा
electrophoresis unit का जीव विद्युत की जाए।
३. ५०,०००/- की पुस्तक सालानानुसार कम विद्युत की जाए।
४. एम.एस.-सी. नवालियरवाले, तथा इलेक्ट्रोफोरेस कॉरिस्ट्री हेतु ०२-०२ शिक्षकों की नियुक्ति
परिनियम २४(१७) के अन्तर्गत की जाए।
५. परिनियम २७(२८) का परिपालन किया जाए। अलावे विरीक्षण के पूर्व उक्त सर्वे का वरिपालन
द्वितीय विद्युत विद्युत की जाए।

आदेशाकार

कूलप्रबन्ध

प्रति,

१. प्रबाध, पाठ्यक्रमी वाई गोखले विद्यालय महाविद्यालय, नवालियर
२. आमुल, नवालियर शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सत्रुघ्ण भवन, भीमाना।
३. जीव विद्युत संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवालियर-चंद्रल संभाज, गोती जल्द
प्राप्तेव, नवालियर।
४. एम.एस.-सी. नवालियरवाले, विद्यालय नियुक्ती विश्वविद्यालय, नवालियर।
५. अधीक्षक, परीक्षा कम नं.०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाली हेतु।

संस्कारक कूलप्रबन्ध (सम्बद्धता)